BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 25th June 2014 | No. 10

उद्यमियों के लिए जमीन खरीदेगी सरकार

बोले उद्योग मंत्री : • सिगंल विंडो सिस्टम को मजबूत करेगी सरकार • कॉरिडोर पर केन्द्र से होगा पत्राचार • गांधी सेतु की समस्या का निदान करने आएंगे अमिताभ वर्मा • फूड प्रोसोसिंग का रोड मैप तैयार करे चैम्बर।

बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बांयीं ओर क्रमशः माननीय उद्योग मंत्री डॉ० भीम सिंह, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा बांयीं ओर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा।

उद्योग के लिए भूमि का इन्तजाम करना एक चुनौती है। राज्य सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी। भू स्वामियों से आग्रह है कि वे औद्योगिक भूमिका निभाने को आगे आएं। सरकार उद्यमियों और उनके बीच संतुलन बनाएगी। ऊंची कीमत वाली जमीनों को सरकार भी खरीदेगी जिससे उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। उक्त बातें शनिवार दिनांक 7 जून 2014 को नई सरकार के नए उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने कहीं। वे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में उद्यमियों से संवाद करने पहुंचे थे।

इससे पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। जवाब में डॉ. भीम सिंह ने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि व्यावसायिक परिवार से नहीं रही है। हाल ही में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी लिया हूँ। समझ रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इसका तेजी से निदान भी करूंगा। उत्पादन के पांच साधन होते हैं– भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इसी राह आगे बढ़ेंगे। नई उद्योग नीति बनने के बाद जमीन की कीमत 240 फीसद से अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि जमीन खरीद कर व्यवसायियों को उपलब्ध कराए। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम पर कहा कि इसे मजबूती के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की मध्यावधि समीक्षा पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। फूड प्रोसेसिंग की समस्याओं पर कहा कि चैम्बर विशेषज्ञों की राय से एक रोड मैप तैयार करे। विभाग भी अपने तरीके से इस पर कार्य करेगा। गांधी सेतु की समस्या पर कहा कि आइएएस अधिकारी अमिताभ वर्मा को इसके समाधान के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है। वे अंतरराज्यीय जल पोत निगम के इस समय सीएमडी हैं। मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी एवं शशि मोहन, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री ए. के. पी. सिन्हा सहित रामलाल खेतान, जी. पी. सिंह, संजीव चौधरी सहित काफी सदस्य उपस्थित थे।

व्यवसायियों ने उठाये कई मुद्दे : चैम्बर के अलावा उपस्थित व्यवसायियों की ओर से भी कई मुद्दे उठाए गए। इसमें प्रमुख है:– जीटीएस पर भी कारगर कदम उठाने की जरूरत, छोटी यूनिटों को राहत नहीं मिल रही है। परेव में तार की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। धान स्टोर करने की व्यवस्था हो। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.6.2014)**

माननीय उद्योग मंत्री को चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन

1. **उद्योगों हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में :–**

महोदय, उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत कम है अतः उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस संबंध में हमारा निम्नलिखित सुझाव है :–

- सरकार को भूमि बैंकों की स्थापना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से छोटे–बड़े प्लॉट उद्योगों को उपलब्ध कराया जा सके।
- सरकार को भूमि का वर्गीकरण कर औद्योगिक जोन बनाना चाहिए, जिसकी जमीन सिर्फ उद्योगों के लिए ही भूमि मालिकों द्वारा बेची जा सकती है। ऐसी जमीन हमेशा उद्योग के लिए उपयोग में लायी जा सकती है ।
- भूमि उपलब्धता हेतु निजी औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- सरकार बाजार दर पर भूमि खरीदे परन्तु उसे एक उचित दर पर उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाए या उद्यमियों द्वारा उद्योग के लिए भूमि खरीदने पर Subsidy दिया जाना चाहिए।

- बिहार औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार के द्वारा जो जमीन आवंटित की जाती है उसे Free Hold करने का प्रावधान किया जाए।
- सरकार की खास महल भूमि बड़ी मात्रा में पूरे बिहार में उपलब्ध है। सरकार उसे Consolidate कर उद्योगों के लिए दे सकती है।
- अमृतसर- देहली- कोलकाता Industrial Corridor विकसित करने की बात हो रही है। सरकार को बिहार में जहाँ-जहाँ से यह Corridor गुजरेगा, उसके दोनों तरफ अभी से ही बड़े-बड़े भूमि के टुकड़ों (1000-2000 एकड़) को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस Industrial Corridor को Eastern Dedicated Freight Corridor से बहुत मदद मिलेगी और यह उसके लिए एक Backbone का काम करेगा।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2011 का अच्छी तरह से पूर्णरूपेण कार्यान्वयन हेतु :-

सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति- 2011 बनाई है जो बहुत आकर्षक है, परन्तु उद्योग विभाग के अतिरिक्त इसमें वाणिज्य-कर विभाग एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की भी बड़ी भूमिका है। इन तीनों में आपसी तालमेल के अभाव में औद्योगिक नीति का अच्छी तरह से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। अनेक अवसरों पर इन विभागों के बीच किए गए प्रावधान की व्याख्या को लेकर विरोधाभाष उत्पन्न हो जाता है और वह चीज वहीं ठप पड़ जाती है। यहाँ पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट, पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं। विभागों के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है। इसके लिए बनाये गये Clarification Committee में उद्योग एवं व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि को भी रखा जाना चाहिए ।

3. राज्य सरकार द्वारा एक प्रभावकारी Single Window System विकसित करना चाहिए, जहाँ से सारे Clearances, Permissions तथा Licenses एक ही छत के नीचे एक तय समय सीमा में प्राप्त हो सके ।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका (IX) के द्वारा राज्य सरकार ने जिन उद्योगों को थ्रस्ट एरिया में रखा है उनमें से कुछ उद्योगों यथा- इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति अब तक निर्धारित नहीं की गई है। इसे तैयार कराया जाना चाहिए ।

5. उद्योगों से संबंधित करों के संबंध में सुझाव :-

- बिजली के संयंत्रों जो Plant and Machinery के अभिन्न अंग हैं, उनकी खरीद पर प्रवेश-कर लिया जा रहा है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
- उद्योगों के लिए बाहर से लाये जाने वाले कच्चे माल एवं Packing Materials प्रवेश-कर से मुक्त होनी चाहिए।
- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2011 में Electricity Duty की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नीति की कंडिका- 3(II)(ख) के अंतगर्त किया गया है और इस संबंध में उद्योग विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने के बावजूद विद्युत बोर्ड द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अत: इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2011 के अन्तगर्त जितने भी मौद्रिक प्रोत्साहन मिलते हैं, वे उद्यमियों के बैंक खाते में On-line Credit होने चाहिए, ताकि उद्यमियों को कार्यालयों का चक्कर लगाने में समय की बर्बादी एवं वहाँ होने वाले Harassment से मुक्ति मिल सके।
- वाणिज्य-कर में छोटे व्यवसायियों के समान Compounding की सुविधा सुक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को भी मिलनी चाहिए।

6. सामग्री-खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना :-

राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाईयाँ इसका लाभ नहीं उठा पायीं। राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम - 131 में कुछ संशोधन किया है। मगर इसका भी लाभ राज्य की औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है। राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीदारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें। हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे। अत: आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके।

7. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की मध्यावधि समीक्षा के कार्यान्वयन हेतु :-

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की मध्यावधि समीक्षा के संबंध में अनेकों बैठकों के बाद आपसी सहमति से एक प्रतिवेदन बनाया जा सका है अत: निवेदन है कि इसे जल्द लागू कराने की कृपा की जाए।

8. Captive Power Plant / गैर-पराम्परिक उर्जा श्रोतों के प्रोत्साहन के संबंध में :-

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत Captive Power Plant/ गैर-पराम्परिक उर्जा श्रोत की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान की व्यवस्था की गई है लेकिन अनुदान देने की प्रक्रिया में यह उल्लेखित है कि Captive Power Plant की क्षमता का निर्धारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकृत Load माना जाएगा। ऐसे में उन सभी इकाईयों को जिनका अपना Captive Power Plant है जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, उनलोगों को भी विद्युत बोर्ड से अनावश्यक Load स्वीकृत करवाना पड़ेगा ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदान देने के लिए Captive Power Plant की क्षमता का निर्धारण हेतु एक कमिटी गठित करवाने की कृपा करें ताकि अनुदान देने हेतु औद्योगिक नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

9. चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन :

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है। इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए।

10. गैस पाइपलाइन

अभी तक बिहार में गैस पाइपलाइन उपलब्ध नहीं है। जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यह गैस पाइपलाइन बिहार के अनेक स्थानों से गुजरेगी, जिसका अधिकतम लाभ लिया जाना चाहिए। गैस पाइपलाइन का भौगोलिक वितरण असमानता भरा रहा है, जिसके फलस्वरूप पाइपलाइन के नजदीक वाले राज्य इसका अधिक लाभ उठा पाते हैं और उन स्थानों में गैस का स्थानीय बाजार विकसित हो जाता है। जबकि पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार गैस का लाभ गैस की अनुपलब्धता की वजह से नही उठा पा रहे हैं।

राज्य सरकार को इस संबंध में GAIL एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसी से इस गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए बात करनी चाहिए और बिहार को इस गैस पाइपलाइन से गैस उचित मात्रा में मिले इसका प्रयास कर एक MOU बनवा लेना चाहिए।

11. राज्य के सभी वित्तीय संस्थान यथा BSFC, BICCICO, BSIDC, Small Industries Development Corporation सभी लगभग बंद हो चुके हैं जिससे उद्यमियों को मध्यम एवं दीर्घकालीन टर्म लोन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार को इन संस्थानों का पुनरूद्धार कर इन्हें गतिशील बनाना चाहिए।

12. राज्य में राष्ट्रीयकृत अथवा निजी व्यापारिक बैक ऋण देने में काफी अनुदार (Conservative) भावना रखते हैं। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की

आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है। सरकार ने कुछ बैंकों को काली सूची मे डाला है और उनमें सरकारी जमा रखने से मनाही कर दी है। सरकार को रिजर्व बैंक के माध्यम से इन बैंकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए।

13. **आधुनिक प्रयोगशाला :-** फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाए जहाँ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जाँच करा सकें।

14. राज्य के उद्यमियों को बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को अनापत्ति के लिए बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। 31 जनवरी, 2012 से पहले यह फीस तीन वर्षों के लिए मात्र 6 हजार थी जिसे अब बढ़ाकर 25 हजार से 55 हजार तक कर दिया गया है। मध्यम उद्योगों के लिए जो फीस तीन वर्षों के लिए 15 हजार थी, उसे बढ़ाकर 40 हजार से 1 लाख 40 हजार तक कर दिया गया है। वस्तुत: पहले फीस का निर्धारण उद्योगों के वर्गीकरण पर था, जिसे अब उद्योग की Fixed लागत पर निर्धारित किया जाता है, जो उचित नहीं है इसमें कमी करना आवश्यक है।

15. **प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व**
नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक है। सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन तीनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसे प्रोत्साहन मिले और जो काम नहीं करे या नकारात्मक काम करें, उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित की जानी चाहिए।

16. **महात्मा गाँधी सेतु, पटना एवं राजेन्द्र सड़क पुल, मोकामा**
राजेन्द्र सड़क पुल, मोकामा पर भारी वाहनों का परिचालन काफी दिनों से बंद है, विकल्प के तौर पर महात्मा गाँधी सेतु, पटना उपलब्ध था जिससे किसी तरह काम चल रहा था। अब महात्मा गाँधी सेतु, पटना पर भी 10 चक्के एवं उससे ऊपर के चक्के वाले वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन के क्षेत्र में आपदा की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस परिस्थिति में राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक इकाईयों को कच्चा माल अपने इकाईयों तक लाने एवं उत्पादित माल को भेजने में अनावश्यक बिलम्ब के साथ-साथ अधिक लागत के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस संबंध में आपसे आग्रह है कि आवागमन के कोई विकल्प साधन को विकसित किया जाए तथा ऐसी इकाइयाँ जो प्रभावित हो रही हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

माननीय उद्योग मंत्री का उनके कार्यालय में मिलकर अभिनंदन करता चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 5 जून, 2014 को माननीय उद्योग मंत्री डॉ० भीम सिंह से उनके कार्यालय कक्ष में मिला था। चैम्बर अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर माननीय उद्योग मंत्री से विचार-विमर्श किया और उन्हें चैम्बर में सदस्यों के साथ एक बैठक हेतु समय देने का अनुरोध किया। उद्योग मंत्री ने दिनांक 7 जून, 2014 को चैम्बर में पधारने की सहमति प्रदान की। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, वैट सब कमिटी के चेयरमैन श्री नवीन कुमार मोटानी, पूर्व महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अमर कुमार अग्रवाल सम्मिलित थे।

रेल यात्री किराया, माल भाड़ा बढ़ाया

सरकार ने उठाए सख्त कदम,
यात्री किराया 14.2 फीसदी और माल भाड़ा 6.4 फीसदी बढ़ाया

रेल किराये में 14.2 फीसदी और माल भाड़े में 6.4 फीसदी वृद्धि करने का सख्त कदम उठाकर रेल मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार कम से कम रेलवे के मामले में तो सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नीति का ही पालन करेगी। रेल के नए किराये 25 जून से प्रभावी हो जाएंगे।

यात्री किराये की बात करें तो सभी श्रणियों में 10 फीसदी का इजाफा किया गया है। इसके अतिरिक्त ईंधन समायोजन (एफएसी) के मद में 4.2 फीसदी की बढ़ोतरी भी की गई है। सभी प्रमुख जिंसों की ढुलाई के लिए माल भाड़े में 5 फीसदी का इजाफा हुआ है, जबकि एफएसी के मद में अतिरिक्त 1.4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। एफएसी किराये का वह परिवर्तनीय हिस्सा है, जिसे डीजल और बिजली के दाम के साथ जोड़ा गया है।

(विस्तृत : बिजनेस स्टैडर्ड- 21.6.2014)

रेल यात्री किराया एवं माल भाड़ा बढ़ाये जाने पर चैम्बर की प्रतिक्रिया

हर चीज के बढ़ जायेंगे दाम

रेल किराया के साथ माल भाड़े में वृद्धि से लोगों की परेशानी बढ़ जायेगी। पहले से ही लोग मंहगाई से परेशान हैं। उस पर से किराया बढ़ गया है। इसका असर हर चीजों पर पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर चीज के दाम बढ़ेंगे। सीमेंट व छड़ की कीमत भी बढ़ जायेगी। रेलवे को तत्काल भाड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था। बजट में समीक्षा के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए था। भले ही 16 मई को रेलवे भाड़े में वृद्धि की बात थी। इसे 20 मई से लागू होना था, लेकिन सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। रेलवे की हालत खराब है। इसका मतलब यह नहीं कि यात्रियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ा दिया जाये। रेलवे को किराया व माल भाड़ा न बढ़ा कर दूसरे साधनों पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे की जमीन बहुत है। उसे व्यावसायिक रूप देकर आमदनी बढ़ानी चाहिए। रेलवे के पास अनुपयोगी चीजों के स्टॉक हैं। उसे हटाना चाहिए। इससे भी आमदनी बढ़ेगी।

पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 21.6.2014)

मजदूरों को पेंशन देगी सरकार

• प्रवासी मजदूरों को भी स्थानीय की तरह लाभ • निबंधित मजदूरों की मृत्यु पर अब 50 हजार की जगह मिलेगा एक लाख • अंत्येष्टि के लिए अब एक हजार की जगह मिलेंगे दो हजार • बच्चियों की शादी पर पांच हजार अलग से। — दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्रम संसाधन मंत्री

सदस्यों को संबोधित करते श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, माननीय श्रम संसाधन मंत्री। उनकी दांयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं लेबर सब-कमिटि के चैयरमैन डॉ. बी. बी. वर्मा।

निबंधित मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी। सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद उन्हें कम से कम एक हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। सूबे के श्रम संसाधन मंत्री दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 19 जून 2014 को इसकी घोषणा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में की।

उद्योग जगत की श्रम संबंधी समस्याओं से अवगत होने के मकसद से पहुंचे गोस्वामी ने कहा कि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना तैयार हो रही है। 58 साल के बाद उन्हें कम से कम 1000 रुपये की पेंशन देने का इरादा है। अन्य कई बदलाव भी किए जा रहे हैं जिससे विभाग पर मजदूरों का भरोसा बढ़े। उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों को जो लाभ विभाग दे रहा है, वही लाभ अब प्रवासी मजदूरों को भी दिया जाएगा। निबंधित मजदूरों की मृत्यु होने पर उन्हें अब एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी। साथ ही अंत्येष्टि के लिए अब दो हजार रूपये मिलेंगे, पहले एक हजार रुपये मिलता था। बच्चियों की शादी के लिए मजदूरों को पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। निर्माण मजदूरों के दो अंग क्षति होने पर भी अधिक मुआवजा देने पर विचार हो रहा है। जरूरी यह कि लाभ पाने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों का निबंधन हो। प्रत्येक माह हर जिले में दो दिन निबंधन के लिए चिन्हित किए गए हैं। नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले निबंधन की प्रक्रिया जटिल थी, जिसे अब आसान बन दिया गया है। निबंधन के एक से तीन साल के बाद पहले सुविधाएं दी जाती थी, अब यह अवधि छह माह कर दी गई है। बिल्डिंग सेस के मुद्दे पर गोस्वामी ने कहा कि यह राशि मजदूरों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। मजदूरों के कौशल विकास के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।

श्रमायुक्त एस. के सिन्हा ने कहा कि श्रम कानून अप्रासंगिक और जटिल हैं। इससे श्रमिकों के साथ नियोजकों को भी परेशानी हो रही है। मुश्किल यह है कि सभी अधिनियम भारत सरकार के हैं। राज्य की भूमिका इसमें बेहद सीमित है। कोशिश हो रही है कि श्रम कानून सरल हों, सिंगल विंडो के जरिए मजदूरों तक पहुंचें। संबंधित उद्योगों से विमर्श कर इसे राज्य सरकार के मार्फत केन्द्र तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी मुश्किल यह कि श्रम कानूनों के बारे में अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है। बिल्डिंग सेस हो या फिर अन्य एक्ट, जानकारी के अभाव में भी चूक हो रही है। जरूरत है कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। निबधित मजूदरों की संख्या 42 हजार से बढ़कर एक लाख तक पहुँची है। निर्माण मजदूरों के निबंधन के लिए अलग से शिविर आयोजित हो रहे हैं। उद्यमियों की ओर से उठाए गए एक सवाल पर उन्होंने साफ किया कि लेबर इन्फोर्समेन्ट आफिसर फोर्स लेकर नहीं चल सकते।

इससे पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि श्रम संबंधी कानूनों को विभाग सहयोग के रास्ते अमल में लाए। समस्याओं के निदान पर चैम्बर विभाग के साथ तालमेल बिठा कर चल रहा है। दहशत का माहौल कायम नहीं होना चाहिए। श्रम विभाग में कई तरह की योजनाएं हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं। चैम्बर की लेबर सब कमेटी के चेयरमैन बी. बी. वर्मा ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव, अनुबंधित श्रम, बिहार कारखाना नियमावली, ट्रेड यूनियन की समस्याओं, सूक्ष्म एवं लधु उद्योगों के लिए अलग से लेबर कोड बनाने, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना सहित

अन्य मुद्दों को उठाया। क्रेडाई के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार ने कहा कि लेबर सेस का उपयोग मजदूरों और उनके बच्चों के हित में नहीं हो रहा है। सेस वसूली के लिए विभाग के पास मैन पावर भी कम है। इसका निदान होना चाहिए। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सचिन चंन्द्रा ने कहा कि स्कील्ड लेबर की संख्या बिहार में बहुत कम है। अगर इसमें सुधार हो तो जीडीपी में हमारी भागीदारी बढ़ सकती है। निर्माण श्रेत्र में 30 कानूनों से हमें जूझना पड़ता है। जरूरत है कि इसमें कमी की जाए। मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी एवं शशि मोहन, महामंत्री ए. के. पी. सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। **(साभार : दैनिक जागरण, 20.06.2014)**

देश की आर्थिक स्थिति पर चिंतित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा

पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था

देश की आर्थिक स्थिति से चिंतित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत को अत्यधिक कठिन बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को सतत उच्च विकास पथ पर ले जाने को प्रतिबद्ध है। साथ ही मुद्रास्फीति को काबू में रखा जायेगा तथा कर व्यवस्था को विरोध के भाव से मुक्त रखा जायेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के केंद्रीय कक्ष से दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे थे।

राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि हम आर्थिक मोर्चे पर अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लगातार दो वर्षों से हमारी वृद्धि दर पांच प्रतिशत से कम रही है। टैक्स की वसूली कम हुई है और मुद्रास्फीति अवांछित स्तर पर बनी हुई है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना मेरी सरकार का सबसे बड़ा काम है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय कक्ष से भाजपा नीत राजग सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया।

अभिभाषण की मुख्य बातें : • आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना • खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाना • निवेश चक्र को दोबारा तेज करना • रोजगार सृजन में तेजी लाना • निवेशकों का विश्वास बहाल करना • निवेश, उद्यम एवं विकास विरोधी नहीं होगी कर व्यवस्था • जीएसटी लागू करने के प्रयास • व्यवसाय को आसान बनायेंगे • रोजगार सृजन व परिसंपत्तियों का सृजन करनेवाले क्षेत्रों में एफडीआइ • महंगाई पर अंकुश, आपूर्ति में सुधार • जमाखोरी और कालाबाजारी रोकेंगे • सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार • कृषि में निवेश बढ़ायेंगे • श्रम-विनिर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहन • माल ढुलाई व औद्योगिक गलियारों की स्थापना • औद्योगिक व निवेश क्षेत्रों की स्थापना • व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पेश करना • निवेश के लिए कोयला श्रेत्र में सुधार • राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का विस्तार • अंतरराष्ट्रीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों का क्रियान्वयन • परमाणु बिजली परियोजनाओं का विकास। **(विस्तृत: प्रभात खबर, 10.6.2014)**

मोदी सरकार का रोडमैप

10 बड़ी बातें • महंगाई पर नियंत्रण • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना • हर राज्य में आइआइटी-आइआइएम • महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण • सार्वजनिक स्थानों पर पाँच साल में वाई फाई • हाई स्पीड ट्रेन, • 2022 तक पक्का घर, पानी और 24 घंटे बिजली • अविरल स्वच्छ गंगा • आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति • काला घन लाने के लिए प्रतिबद्ध।

इन पर जोर • 5 टी: ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी व टैलेंट • अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लायेंगे • आधुनिक तकनीक से लैस होंगे जवान • रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन पर जोर • मदरसों को आधुनिक बनाया जायेगा • अल्पसंख्यकों को बराबर की भागीदारी • ब्रॉडबैंड से जुड़ेगा हर गांव • टीम इंडिया की तरह काम करेंगे राज्य और केंद्र • हर राज्य में एम्स के तर्ज पर अस्पताल • नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन • 100 विश्वस्तरीय शहरों की स्थापना • सबको समय से न्याय, लंबित मामलों के निबटारे की पहल • घाटी मे बसाये जायेंगे कश्मीरी पडित • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ **(साभार : प्रभात खबर, 7.6.2014)**

इंडस्ट्री कैबिनेट और लैंड बैंक शीघ्र : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री से जल्द मिलेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अनुसार बिहार का जब बंटवारा हुआ, तभी प्रदेश को विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी। पर लंबे इन्तजार के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए भी अभियान चला, पर यह नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नए अध्याय की शुरूआत होगी। राजनीति आड़े नहीं आएगी। प्रदेश में कृषि कैबिनेट की तर्ज पर उद्योग कैबिनेट का भी गठन होगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.6.2014)

उद्योग कैबिनेट का स्वागत, पर उद्यमी इसकी फंक्शनिंग को लेकर संशय में

मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सूबे के उद्यमियों से रू-ब-रू होते हुए जीतन राम मांझी ने विशेष उद्योग कैबिनेट बनाने की घोषणा की। इससे पहले अप्रैल, 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कैबिनेट बनाया था। इस प्रकार बिहार पहला ऐसा राज्य बना, जहां कृषि कैबिनेट बनी। उद्योग कैबिनेट की घोषणा के प्रति सूबे के उद्यमियों और व्यवसायियों में उत्साह दिख रहा है।

"नए मुख्यमंत्री की पहल स्वागतयोग्य है। उद्योग कैबिनेट से बीते वर्षों में सूबे में आई शिथिलता से उबार मिलेगा एवं निवेशकों का विश्वास सरकार के प्रति फिर बढ़ेगा।" **– पी. के. अग्रवाल**, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.6.2014)

इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर होगा रोड शो

राज्य में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने को लेकर उद्योग विभाग ने प्रमंडल स्तर पर रोड शो के आयोजन करने का निर्णय लिया है, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना को लेकर राज्य में एक जागरूकता आए। पिछले एक साल में अभी तक विभाग के पास मात्र दो आवेदन आए हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापना को लेकर गंभीर हैं। विभाग इन्हें हर तकनीकी सहयोग दे रहा है। विभाग मानता है कि राज्य में उद्योग के विकास में जमीन का नहीं मिलना मुख्य समस्या है। ऐसे में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग के विकास में बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। इसी को लेकर ही इसकी एक नियमावली सरकार ने बनाई है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पहला प्रस्ताव मोकामा में और दूसरा दरभंगा के लिए आया है। मोकामा में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने वाले उद्यमियों/ किसानों को विभाग पूणे ले जाकर वहाँ के विकसित प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाएगा। ताकि यहाँ भी एक बेहतर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हो सके। **(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 06.6.2014)**

BIHAR COULD MISS UNION BUS FOR INDUSTRY, SAY BIZMEN

NDA's return to power and President Pranab Mukherjee's address highlighting the Union government's vision may have raised hopes of an imminent industrial revival in the country, but those engaged in trade and industrial activities in Bihar are keeping their fingers crossed.

For, despite having the potential of being a prospective revenue and employment generator, the general industry view is that the sector has failed to get the required priority on government agenda.

BCC president P. K. Agrawal is sanguine about reaping the cascading effect of the new sector specific central policy initiatives that are likely to unfold shortly.

"All the three initiatives-creation of dedicated freight corridor, setting up of industrial corridors and manufacturing zones around them-will not only benefit industrially virgin states like Bihar but also help in integrating the movement of agri-produce," he said.

Agrawal is also hopeful of prospects of further simplification of labour laws, which would remove unnecessary restrictions. "But to be part of the development and growth that the new regime at the Centre promises to unfold, Bihar needs to do the spadework first," the BCC president said, adding that the chamber has already taken up some issues with the authorities,

" In all this we must not forget the compelling need to create a land bank, strengthen single window system, encourage transparency and pursue the demand for special status and special package vigorously," said Sanjay Khemka, former secretary general, BCC and an entrepreneur.

(Details : Hindustan time, 12.6.2014)

INDUSTRY DRIVE CAUGHT IN LAND LOGJAM

The district administrations' dilly-dallying attitude over landowners' offer of plots for industries has slammed brakes on any scope of resolution of land scarcity problem in the state.

The industries depart-ment's Aao Bihar initiative, which literally bounced back from the dead in 2013, has seen 17 people approaching the department wishing to sell off their land to interested industrialists or entrepreneurs. The department, in turn, contacted the respective district administrations, directing the commissioner's office to check the land documents and complete verification formalities.

However, the verification of none of the plots has been done so far. The department sent reminders. Sources said the verification directives were sent almost a year back but no action was taken.

Industrialists called it unfortunate. ***(Details : The Telegraph, 9.6.2014)***

बिहार की मांग, जल्द तय हो विशेष राज्य का मानदंड

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक

केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार गठन के बाद पहली बार राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की। बजट पूर्व विमर्श के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यह मांग उठी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र से अनुरोध किया कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जल्द मानदंड तय किया जाये, ताकि बिहार को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।

बिहार की अन्य मांगें : • 14वां वित्त आयोग 2011 जनगणना को आधार माने, ऐसा बदलाव सामान्य केंद्रीय सहायता प्रदान करनेवाले गाडगील फॉर्मूला में भी किया जाये। फिलहाल 60 फीसदी केंद्रीय सहायता 1971 के जनगणना के आधार पर मुहैया करायी जाती है व 25 फीसदी प्रति व्यक्ति आय पर। • राज्यों को स्थानीय जरूरत के हिसाब से योजना बनाने की छूट मिले। • वित्तीय घाटा 4 फीसदी तक रखने की छूट मिले। इसके लिए एफआरबीएम कानून में संशोधन हो। • प्रोफेशनल टैक्स की सीमा 2,500 रुपये को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जायें। राज्य सरकार को सीमा निर्धारित करने की छूट मिले। • पिछड़े जिलों में स्थापित उद्योगों को आयकर व उत्पाद कर में छूट मिले। • सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 नये कृषि कॉलेज और एक नये हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने के लिए बजट में प्रावधान किये जायें। • बिजली के क्षेत्र में ट्रांसमिशन टैरिफ नियामक द्वारा तय न हो, बल्कि उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत का फॉर्मूला तय हो। बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाये। • रक्सौल से भाया बख्तियारपुर गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल होते हुए पारादीप तक पूर्वी आर्थिक गलियारा बने। • सिंचाई परियोजना के लिए केंन्द्र और राज्य का अनुपात 25 व 75 के बदले 75 व 25 का हो। • राष्ट्रीय औसत प्रति 14 हजार आबादी पर एक बैंक शाखा के स्तर पर पहुंचने के लिए सूबे में 2,500 नये शाखा खोले जायें। बैंकों में सिटीजन चार्टर लागू हो। • प्रत्येक पंचायत में 5 कर्मी नियुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता मिले।

(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2014)

लटक गया उद्योगों का फंड

उद्यमियों के लिए विशेष कोष गठित करने की योजना फाइलों में दबी

बिहार सरकार की उद्यमियों के लिए कॉरपस फंड स्थापित करने को योजना अधर में लटक गई हैं। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक इसमें फिर से जान फूंकने की कोशिशें की जा रही हैं और इस संबंध में उद्योग विभाग मंत्रिमंडल के पास फिर से प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने 2011 में ही नए उद्यमियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने हेतु यह फंड स्थापित करने की योजना बनाई थी।

अधूरी योजना : • राज्य सरकार ने 2006 में अपनी उद्योग नीति के तहत उद्यमियों के लिए की थी विशेष फंड बनाने की घोषणा • उद्योग विभाग यह प्रस्ताव फिर से राज्य मंत्रिमंडल को भेजने को कर रहा तैयारी **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2014)**

टीडीएस पर गाज गिरा कर हो अच्छे दिनों का आगाज

करदाताओं के लिए दु:स्वप्न साबित हो रहे टीडीएस को खत्म करने और करदाताओं से बेहतर सलूक की वकालत। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2014)**

सिमट रहा ओबरा का कालीन उद्योग

ओबरा का कालीन उद्योग अब सिमटता नजर आ रहा हैं। यहाँ निर्मित कालीन कभी राजा-महाराजाओं के दरबार की शोभा बनते थे। कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपने महल के लिए यहाँ से कालीन मगवाया था।

यहाँ के बुनकरों में अली मियां को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। आज यह कालीन उद्योग अखिरी सांसें गिन रहा है। बाजार को मांग के अनुरूप प्राइवेट कंपनियां यहाँ घटिया कालीन निर्माण करा रही हैं। पटना में इसका शो रूम खोला गया था, पर वह भी वर्षों से बंद है। सरकार कोई पहल नहीं कर रही है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.6.2014)

बिजली की समस्या पर दैनिक हिन्दुस्तान द्वारा 09.06.14 को आयोजित संवाद में

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा – अनाप-सनाप बिल नहीं भेजा जाए

"बिजली के बिल सही नहीं मिल रहे हैं। अनाप-सनाप बिल देकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। इसमें सुधार की जरूरत है। जनता को बेवजेह परेशान न किया जाए। फ्यूज कॉल बनाने में देरी होती है। बिजली कामगारों की तादाद बढ़ायी जाए। बिजली की गड़बड़ी ढूंढने में काफी वक्त लग रहा है। इसमें तेजी लाने से जनता को राहत मिलेगी।" **–पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बीसीसीआई

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.6.2014)

बिजली आपूर्ति के लिए थ्री-वे लाइन

राजधानी में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए थ्री-वे लाइन बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे संकट वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फीडर से बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। ऊर्जा सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत ने बताया कि पटना की तमाम गड़बड़ियां दूर होंगी। हेल्पलाइन सिस्टम दुरुस्त करने, फ्यूज काल सेंटर को आवश्यकतानुसार सक्रिय बनाने से लेकर आम उपभोक्ताओं की एक-एक समस्या की नियमित मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि बिजली की कमी नहीं है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों से लोगों तक बिजली पहुंचाने में परेशानी हो रही है। **(साभार : दैनिक भास्कार, 9.6.2014)**

बिहार में महंगी होगी बिजली!

बिजली की भारी किल्लत के बीच बिहार सरकार राज्य में बिजली की दरों में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार की बिजली कंपनियों ने इस संबंध में बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) के पास प्रस्ताव भी भेज दिया है। इन कंपनियों ने बिजली दरों में करीब 10 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव दिया है।

(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.6.2014)

बिहार तेनुघाट थर्मल पावर पर दावा करेगा

तेनुघाट थर्मल पावर पर चल रहे विवाद को लेकर बिहार, झारखंड व केंद्रीय ऊर्जा सचिव की बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही इसमें बिहार से ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत शामिल होंगे। तेनुघाट विद्युत परियोजना की लागत राशि 1035 करोड़ और पटना में मुख्यालय का हवाला देते हुए बिहार इस पर अपना मालिकाना हक जताएगा। अगर बिहार को इसका मालिकाना हक मिलता है तो उसे उसे रोजाना 400 मेगावाट बिजली मिलेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.6.2014)

इस बार भरें ऑनलाइन रिटर्न

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख अमूमन 31 जुलाई होती है। यानी अब इसमें डेढ़ महीने से कुछ ही ज्यादा समय बचा है। अगर आपको रिटर्न दाखिल करना है, तो अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। आप आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिये यह काम मुफ्त में कर सकते हैं। इसके अलावा कई निजी ई-फाइलिंग पोर्टल भी है। ये सेवा के बदले में कुछ शुल्क लेते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि करदाता की आय के स्रोत क्या हैं। वेतनभोगियों को यह सुविधा 150-200 रुपये में भी मिल सकती है। रिटर्न दाखिल करनेवाले निजी पोर्टल पूरी प्रक्रिया में करदाताओं के थोड़ा ज्यादा मददगार होते हैं। फॉर्म भरते समय ये आपको निर्देशित करते हैं। यहाँ तक कि गलती करने पर आपको सुधारते भी हैं।

(विस्तृत: प्रभात खबर, 9.6.2014)

पटना के मास्टर प्लान को जल्द मिलेगी मंजूरी

प्रदेश के नए नगर विकास मंत्री राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी ने विभाग का काम संभालते अधिकारियों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेढ़ साल से शून्यता की स्थिति है। बिल्डर नाराज हैं। भवनों के निर्माण से जुड़ी अड़चनों को जल्द दूर किया जाएगा। पटना का मास्टर प्लान भी लंबे समय से अटका हुआ है। पटना नगर निगम की समिति ने इसे पास कर दिया है। एक और उच्चस्तरीय समिति से पास कराया जाना है। हम जल्द पटना के मास्टर प्लान की मंजूरी चाहते हैं। साथ ही पटना में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव की व्यवस्था भी जल्द कर लेंगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.6.2014)

पुरानी दर पर ही रजिस्ट्री

अभी नहीं लागू होगी जमीन की नई दर

बाजार दर से भी अधिक प्रस्तावित की गई है सरकारी दर

जिला स्तर पर जमीन की नई कीमत का निर्धारण तो कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाएगा। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जिला निबंधन कार्यालय की ओर से एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) के रिविजन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है।

निबंधन विभाग की असिस्टेंट आईजी मुक्ता वर्मा ने बताया कि फिलहाल पटना जिले में नया एमवी आर लागू नहीं किया जाएगा। जिला निबंधन शाखा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को संशोधन के लिए लौटाया जाएगा।

संशोधन के बाद जो नई दर प्राप्त होगी, उस पर विचार किया जाएगा। इसमें डेढ़ से दो माह का समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया कि जिला निबंधन शाखा में जमीन की सरकारी दर का निर्धारण करने के पहले बाजार मूल्य का सर्वे नहीं कराया।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.6.2014)

नेट से टिकट बुक कराना आसान पर रिफंड कराने में छूट रहा पसीना

आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ट्रेन का टिकट लेना काफी आसान हो गया है। परंतु इसे रिंफड करना उतनी ही टेढी खीर हो गया है। आइआरसीटीसी की हालत यह है कि आपका स्टेटस तो नेट पर हमेशा देखने को मिलेगा परंतु जब आप यात्रा के 48 घंटे या और पहले से ही बुकिंग रद कराने की कोशिश करेंगे तो कैंसल का आप्शन ही नहीं मिल पाएगा। हैरत की बात तो यह है कि कभी-कभी ट्रेन खुल जाती है और दूसरे दिन आपके मोबाइल पर टिकट कन्फर्म होने की सूचना भेजी जाती है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.6.2014)

पर्यटन प्रोत्साहन के लिए धन !

आगामी बजट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथरॉइजेशन (ईटीए) योजना के लिए विशेष आवंटन के साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इटीए सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में पर्यटन क्षेत्र की राह में चुनौतियों का जिक्र किया।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.6.2014)

BCC wants ban on trucks on setu lifted

President of Bihar Chamber of Commerce and Industries P. K. Agrawal requested the Union Railway Minister and Minister of State for Railways to permit plying of vehicles with 10 or more wheels on Rajendra Road Bridge, Mokama.

Saying that the ban imposed on entrance of heavy vehicles on Mahatma Gandhi Setu was adversely affecting trade and would hike prices of essentials. Agrawal sought a lift on the ban from the minister.

"Either lift the ban or direct concerned officials to make alternative arrangements for plying of vehicles in the day or night on Rajendra bridge. Both bridges play a vital role in commercial activities in Bihar," Agrawal said.

"Traders mostly use heavy vehicles having more than six wheels to ferry goods, as it proves cheaper", Agrawal said, adding, "Now the ban is creating difficulties in transportation of medicines, food grains and other necessary consumer goods."

"A similar ban was already imposed on the Rajendra bridge. Now, the ban on setu, owing to technical snags, will result in price hike, " he said.

(Details : Hindustan Times, 5.6.2014)

शुरू होगी निगम क्षेत्र की पार्किंग

नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में चिन्हित 51 पार्किंग स्थानों को संचालित करें, लेकिन बुधवार को एक भी पार्किंग स्थानों पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूली नहीं किया गया और नहीं निगम के कर्मी तैनात किये गये। हालांकि अंचल कार्यपालक पदाधिकारी पार्किंग स्थानों को संचालित करने की रूप रेखा तैयार करने में जुटे रहे। चिन्हित पार्किंग स्थानों पर कर संग्राहकों को तैनात किया जायेगा, जो वाहन मालिकों से पार्किंग शुल्क की वसूली करेगा। इसको लेकर कौन कर संग्राहक कहां तैनात किये जायेंगे, इसकी सूची तैयार की जा रही है। नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि गुरुवार तक किस पार्किंग स्थान पर कौन कर संग्राहक तैनात किये जायेंगे। इसकी सूची तैयार कर लिया जायेगा और शुक्रवार से पार्किंग स्थानों पर खड़ा होने वाली वाहनों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया जायेगा।

निगम क्षेत्र का पार्किंग स्थान	क्षमता
विद्युत भवन के सामने सड़क के दक्षिण	25 वाहन
राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के दक्षिण	20 वाहन
पटना वीमेंस कॉलेज के समीप	20 वाहन
रूकनपुरा शिव मंदिर के समीप	60 वाहन
शिव मंदिर व एक्सिस बैंक के बीच	60 वाहन
लीलीपुट वर्ल्ड शॉप के नजदीक	30 वाहन
लेदर वर्ल्ड के समीप	70 वाहन
मुंदर शाह कोल्ड स्टोरेज के नजदीक	100 वाहन
शेखपुरा मोड़ के नजदीक	8 वाहन
मुन्ना चौक से मूंजा दुकान के पूरब कुम्हरार टोली तक	20 वाहन
पिपुल्स कम्युनिटी हॉल के समीप	20 वाहन
बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप, कंकड़बाग	20 वाहन
सुपर मार्केट 99 के सामने	15 वाहन
राजेंद्र नगर आरओबी से केंद्रीय विद्यालय तक उत्तर	20 वाहन
डीलक्स शौचालय से श्री राम हॉस्पिटल तक	20 वाहन
विद्युत ऑफिस के सामने, कंकड़बाग	24 वाहन
एसबीआई बैंक के सामने, कंकड़बाग	10 वाहन
सीडीए बिल्डिंग से भट्टाचार्या पथ	15 वाहन
ज्ञान गंगा के नजदीक, कदमकुआं	16 वाहन
साहित्य सम्मेलन के नजदीक	18 वाहन
शिवा स्वीट्स के नजदीक	8 वाहन
अमित मेडिकल के नजदीक	9 वाहन
क्रेमेटरी के नजदीक	24 वाहन
राज रंग शॉप के नजदीक	11 वाहन
दिनकर गोलंबर के समीप	10 वाहन
राज फर्निचर शॉप के समीप	20 वाहन
आशा ट्रेडर्स के नजदीक	26 वाहन
वैशाली गोलंबर से दिनकर गोलंबर तक	10 वाहन
टाईम्स ऑफ इंडिया के समीप	10 वाहन
कुम्हरार के समीप सड़क के दक्षिण	10 वाहन
राजेंद्र नगर आरओबी के पश्चिम लीलीपुट के पास	10 वाहन
बहादुरपुर आरओबी के नीचे चार भाग में	तय नही
एसके मेमोरियल हॉल के समीप	20 वाहन
संत जोसेफ के सामने	20 वाहन
चिल्ड्रेन पार्क के समीप गांधी मैदान की तरफ	15 वाहन
काली मंदिर के समीप	15 वाहन
मगध कॉलेज के समीप	15 वाहन
पुलिस ऑफिस के सामने	10 वाहन
महाराजा कॉम्प्लेक्स के सामने	5 वाहन
यातायात थाना के समीप	तय नहीं
शहीद स्मारक के समीप	तय नहीं
पंच मंदिर से सहजानंद भवन पथ के पूरब	15 वाहन

पुल निर्माण कार्यालय के समीप	20 वाहन
पेसू व पीएचइडी कार्यालय के समीप	15 वाहन
टैम्पो स्टैंड के नजदीक	8 वाहन
एएन कॉलेज के समीप	96 वाहन
एसके पुरी पार्क के समीप	45 वाहन
इको पार्क के समीप	150 वाहन
जंकशन से सटे टाटा पार्क में	40 वाहन
दिनकर चौराहा से सटे पेट्रोल पंप के समीप	20 वाहन

'बड़ी इमारतों में पार्किंग पर कब्जे की कोई जानकारी आपके पास है, तो हमें 7739169057 पर मैसेज करें।

(साभार: प्रभात खबर, 12.6.2014)

गांधी सेतु का विकल्प : स्टीमर से ट्रक करेंगे गंगा पार

पथ निर्माण मंत्री ने कहा : भारी वाहन चढ़े तो आएगी पुल बंद करने की नौबत, सरकार है संवेदनशील विकल्पों पर हो रहा विचार

• 19 मई से गांधी सेतु पर 10 चक्के और ऊपर के वाहनों पर है रोक • परिवहन विभाग चलाएगा फेरी सेवा, एप्रोच रोड बनाएगा पथ निर्माण विभाग • गुणवत्ता से समझौता और इस्टीमेट रिवाइज बर्दाश्त नहीं। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.6.2014)**

सूबे में लाइसेंसी हथियारों का यूनिक नंबर बनेगा

गृह मंत्रालय की योजना पर राज्य सरकार लाइसेंसी हथियारों का यूनिक नंबर तैयार करेगी। इसके लिए लाइसेंसी हथियारों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा। वर्ष 2015 अक्टूबर तक लाइसेंसी हथियारों का डाटा बेस तैयार हो जायेगा। इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बैठक हुई।

मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर लाइसेंसी हथियार का यूनिक नंबर तैयार किया जायेगा। इसके लिए सभी जिले में लाइसेंसी हथियारों का पूरा विवरण कम्प्यूटर में फीड हो गया और उसका डाटा बेस तैयार किया जायेगा। बैठक में सभी जिले के आर्म्स मजिस्ट्रेट को डाटा बेस तैयार करने का फॉरमेट दिया गया है। बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब सवा लाख लाइसेंसी हथियार है। डाटा बेस तैयार होने के बाद राज्य में वास्तव में लाइसेंसी हथियारों की संख्या का पता चलेगा। वर्ष 2015 के अक्टूबर में प्रथम चरण में डाटा बेस तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दूसरे चरण में सेंटरलाईज इश्यू सिस्टम तैयार किया जायेगा। इसके बाद हथियारों का नया लाइसेंस भी नये यूनिक नंबर के आधार पर दिया जायेगा। लाइसेंसी हथियारों का डाटा बेस तैयार होने के बाद लाइमेंसी हथियार रखने वाले का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। साथ ही चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई भी आसान हो जायेगी। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.6.2014)**

पाँच लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स!

महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार आयकर (इनकम टैक्स) में छूट का दायरा बढ़ा सकती है। पांच लाख रुपये तक की आमदनी करने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है। फिलहाल दो लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को ही यह राहत मिलती है। इसके अलावा सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्सेज से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है। सरकार के इस कदम पर उसे 66 हजार करोड़ रुपये बोझ सहन करना पड़ेगा। **(साभार: प्रभात खबर, 13.6.2014)**

शहर में दो जगहों पर खुलेगा कामकाजी महिला बैंक

जीरो बैलेंस पर खुलवा सकती हैं खाता,

छोटे व्यवसाय करने के लिए मिलेगा लोन, रोज के हिसाब से पैसे होंगे जमा

दूसरों के घरों में चौका-बर्तन करके या सब्जी बेजकर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए राजधानी में कामकाजी महिला बैंक खुलेगा। यहां वे जीरो बैलेंस पर अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस बैंक को खोलने का निर्णय उन संगठनों ने लिया है जो महिलाओं की सशक्तीकरण के काम में लगे हैं। इनमें कामकाजी महिला एसोसिएशन, जागो बहन और अन्य कई संगठन लगे हुए हैं।

• मिलेगा पाँच हजार का लोन • पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता • क्यों जरूरत पड़ी महिला बैंक की। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.6.2014)**

मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की आगामी बैठक

दानापुर मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की आगामी बैठक 04 जुलाई, 2014 को निर्धारित है। सदस्यों से अनुरोध है कि दानापुर मंडल रेल के जुड़ी समस्या / सुझाव, यदि कोई हो तो कृपया चैम्बर के E-mail : bccpatna@gmil.com पर मेल करें या सीधे चैम्बर कार्यालय में दिनांक 01 जुलाई, 2014 तक अवश्य भेज दें ताकि उन समस्याओं/ सुझावों को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जा सके।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पटना एम्स के लिए सौ एकड़ अतिरिक्त जमीन मांगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पटना एम्स के विस्तार के लिए सौ एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता जताई है। इस जमीन पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी अतिरिक्त सेवाएं मुहैया करायी जाएंगी। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि पटना एम्स पूरी दुनिया में विशिष्ट अस्पताल के रूप में पहचाना जाए।

स्वास्थ्य मंत्री की घोषणाएं

• मुजफ्फरपुर व भागलपुर में इन्सेफ्लाइटिस पर विशिष्ट शोध केंद्र • आसपास के जिलों में दस-दस विस्तरों वाला चाइल्ड आइसीयू • मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सौ सीटें • पांच जिलों में वाइरोलाजी टेस्टिंग लैब।

(विस्तृत: दैनिक जागरण, 23.6.2014)

विनम्र निवेदन

1. माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के सदस्यता शुल्क भुगतान हेतु चैम्बर की ओर से विपत्र भेजा जा चुका है। काफी सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है, उनसे निवेदन है कि वे अपना सदस्यता शुल्क बकाया सदस्यता शुल्क के साथ, यदि कोई हो, तो 12.36 % Service Tax जोड़कर ही चेक/ड्राफ्ट/नकद **BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES** के नाम में भेजने की कृपा करें।
2. माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि यदि उनके दूरभाष में या ई-मेल आदि में परिवर्तन हो गया हो तो कृपया चैम्बर कार्यालय में जानकारी देने की कृपा करें।

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296